रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012025-260072
CG-DL-E-09012025-260072

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2025/पौष 17, 1946
No. 132]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2025/PAUSHA 17, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2025

का.आ. 134(अ).- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i)	श्री शिव नारायण सिंह चौहान, 22, ऋषि नगर, चार इमली भोपाल 462016	अध्यक्ष;
(ii)	डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी ई7/59, एसबीआई कॉलोनी अरेरा कॉलोनी, भोपाल-16	सदस्य; और
(iii)	कार्यपालक निदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य के लिए पैरा 6 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अपना विनिश्चय करेगा ।

5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में किए जाएंगे और साधारणतया एकमत होंगे :

परंतु बहुमत द्वारा लिए गए विनिश्चय की दशा में, इसके समर्थन में और इसके विरुद्ध दृष्टिकोणों के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से अभिलेखबद्ध किए जाएंगे तथा उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

6. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(i)	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, 62, शिव रॉयल कोर्ट, महिंद्रा टाउनशिप के पास, रोहित नगर, बावड़िया कलां, भोपाल	अध्यक्ष ;
(ii)	श्री विजय कुमार अहिरवार, ई8, हाउस नंबर 199, त्रिलंगा कॉलोनी, भोपाल-462039	सदस्य ;
(iii)	डॉ. राकेश कुमार पांडेय, नालंदा बिल्डिंग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के सामने माखनपुरम, बिशनखेड़ी, भोपाल-462044	सदस्य ;
(iv)	डॉ. पल्लवी भटनागर, 103, राम भवन, बेरखेड़ी रोड, जहांगीराबाद भोपाल	सदस्य ;
(v)	डॉ. सुनीता सिंह, ह.नं.-4, लोटस विला, ग्रीन मीडोज अरेरा हिल्स भोपाल – 462011	सदस्य ;
(vi)	डॉ. सुशील मंडेरिया, रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, कुलसचिव निवास, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)	सदस्य; और
(vii)	सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	सदस्य-सचिव

7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

10. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य और समिति के अध्यक्ष और सदस्य-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं ;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श नहीं देगें या सहयोग नहीं करेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित या समिति द्वारा मूल्यांकित की जानी है ; तथा

(ii) यदि पिछले पांच वर्षों में, अध्यक्ष या प्राधिकरण और समिति के किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन संचालित किया है, तो

उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठक से बचाव करेंगे ।

11. मध्य प्रदेश राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को विनिर्दिष्ट करेगी और सभी सचिवालय वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

12. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे ।

[फा.सं.-जे 11013/63/2007-आई.ए.।।(आई)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2025

S.O. 134 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely: —

(i)	Shri Shiv Narayan Singh Chauhan, 22, Rishi Nagar, Char Imli Bhopal 462016	- Chairman;
(ii)	Dr. Sunanda Singh Raghuwanshi, E7/59, S.B.I. Colony Arera Colony, Bhopal-16	- Member; and
(iii)	Executive Director, Environmental Planning and Coordination Organization, Bhopal	- Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 for the State of Madhya Pradesh.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

6. The Central Government, in consultation with the State Government of Madhya Pradesh, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following Members, namely:—

(i)	Shri Rakesh Kumar Shrivastava, 62, Shiva Royal Court, Near Mahindra Township, Rohit Nagar, Bawadia Kalan, Bhopal	- Chairperson;
(ii)	Shri Vijay Kumar Ahirwar, E8, House No. 199, Trilanga Colony, Bhopal- 462039	- Member;
(iii)	Dr. Rakesh Kumar Pandey, Nalanda Building, Makhanalal Chaturvedi National University of Journalism and Communication Bhopal, Opposite MP State Shooting Academy Makhanpuram, Bishankhedi, Bhopal – 462044	- Member;
(iv)	Dr. Pallavee Bhatnagar, 103, Ram Bhavan, Berkhedi Road, Jehangirabad Bhopal ,	- Member;
(v)	Dr. Sunita Singh, H. No.-4, Lotus Villa, Green Meadows Arera Hills, Bhopal – 462011	- Member;
(vi)	Dr. Sushil Manderia, Registrar, Madhya Pradesh Bhoj Open University, Kulschiv Nivas, Kolar Road, Bhopal (M.P.)	- Member; and
(vii)	Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Bhopal	- Member Secretary.

7. The Chairperson and Members of the Committee shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedure as specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. In order to avoid any conflict of interest,-

(i) the Chairman and Members of the Authority and the Chairperson and Member of the Committee shall,-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) if the Chairman or Member of the Authority or the Chairperson or Member of the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project

proponent during the preceding five years, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committee in the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

11. The State Government of Madhya Pradesh shall specify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Chairperson and Member of the Committee shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Madhya Pradesh.

[F. No.J-11013/63/2007-IA.II(I)]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.09 15:11:07 +05'30'